विशेष संवाहक/स्पीड पोस्ट से

सं.14/2/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 21 अप्रैल, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित दूसरी बैठक (2016 श्रृंखला) की अनुपूरक कार्यसूची भेजने के संबंध में।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने और इसके साथ ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक की कार्यसूची भेजने का निदेश हुआ है।

वीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स एक्टिफिओ टेक्नोजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले की एक अतिरिक्त कार्यसूची इस बैठकों चर्चा के लिए अग्रेषित की जाती है।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी** [**सदस्य (सीमाशुल्क)**], **डीजीईपी, वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी** [**सदस्य (आयकर)**], **वित्त मंत्रालय**
4. **महानिदेशक, डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ उप-सचिव (टीवीआर) निजी सहायक।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीआरए) की दिनांक 28.04.2014 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित दूसरी बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए अनुपूरक कार्यसूची।

2.6 (16) मैसर्स एक्टिफिओ टेक्नालोजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड – बीएसईजेड दिनांक 2.3.2010 के एलओपी वैधता अगले पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाना।

मैसर्स एक्टिफिओ टेक्नालोजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 601 और 602 'डी' ब्लॉक, साइबर गेटवे, हाई टेकसिटी माधापुर हैदराबाद को "आईटी एवं आईटी समर्थित सेवाओं का निर्यात करने के लिए दिनांक 2.3.2010 को एलओपी जारी किया गया था।

2. इस यूनिट को क्यूपीआर और एपीआर समय पर प्रस्तुत न किए जाने के लिए दिनांक 15.09.2015 को कारण बताओ नोटिस और उनके एलओपी का स्वत: निरस्तीकरण जारी किया गया था। इस कारण बताओ नोटिस पर दिनांक 22.01.2016 को न्याय निर्णयन दिया गया। इस कारण बताओ नोटिस का दिनांक 23.09.2015 को उत्तर देते समय इस यूनिट ने अगले 5 वर्षों अर्थात 5 वर्ष की अगले ब्लॉक वर्ष अवधि के लिए एलओपी का विस्तार करने की मांग की।

3. ब्लॉक अवधि 10.03.2010 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए 3 समनिट के कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की गई और उसे एनएफई सकारात्मक पाया गया। जैसाकि देखा जा सकता है हालांकि उनकी एलओपी दिनांक 10.03.2015 को अर्थात छह माह की अवधि के बाद समाप्त हो गई थी। इसलिए उनकी एलओपी को अगले छह माह की अवधि के लिए विस्तार किए जाने के लिए उनके अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है।

विदेश व्यापार नीति/एचबीपी के संगत प्रावधान : एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार "विदेश व्यापार नीति" के पैराग्राफ 6.05 में किए गए प्रावधान के अनुसार अनुमोदन अवधि पूरा होने पर यह यूनिट पर निर्भर करेगा कि तहत इस स्कीम के तहत जारी रखना चाहती है या इस स्कीम से बाहर होना चाहती है। जहां कोई इकाई इस स्कीम के अंतर्गत जारी रहने का विकल्प देती है तो विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि में विस्तार करेगा। यदि अनुमोदन अवधि की समाप्ति के छह माह की अवधि के अंदर इस संदर्भ में यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ईओयू स्कीम के अंतर्गत इस अनुमोदन को निरस्त करने के लिए स्वत: कार्रवाई करेगा और इस संबंध में आने की कार्रवाई करेगा। यदि कोई इकाई ऊपर यथाविनिर्धारित छह माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस स्कीम में बने रहने का विकल्प देती है तो विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड (बीओए) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उसको विस्तार प्रदान करेगा।

विकास आयुक्त की संस्तुति : चूंकि इस यूनिट का कार्यनिष्पादन अच्छा है और वह 100 प्रतिशत ईओयू स्कीम के अंतर्गत बने रहना चाहती है और इस यूनिट ने अगले पांच वर्षों के ब्लॉक के लिए अभिनव प्रक्षेपण भी किए है इसलिए विकास आयुक्त वीएसईजेड ने एलओपी का विस्तार अगले पांच वर्षों के ब्लॉक अर्थात 10.03.2015 से 9.03.2020 तक के लिए करने के लिए यूनिट के अनुरोध की संस्तुति की है।